<u>2013 का विधेयक संख्या 1</u>

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

निजी विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 है।

(2) यह 12 नवम्बर, 2012 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "निजी विश्वविद्यालय की विधि" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट निजी विश्वविद्यालय अधिनियम अभिप्रेत है; और

(ख) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है।

3. निजी विश्वविद्यालयों की विधियों का संशोधन.- निजी विश्वविद्यालयों की विधियों में से प्रत्येक की धारा 12 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा" हटायी जायेगी।

4. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश सं.12) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

क्र.सं.	**नाम**	**अधिनियम सं.**
1	2	3
1.	सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 4
2.	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 5
3.	सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी झुंझुनू अधिनियम, 2008	2008 का 6
4.	निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 7
5.	एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 8
6.	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 16
7.	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 17
8.	भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 2008	2008 का 18
9.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 19
10.	महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2009	2009 का 3
11.	मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ अधिनियम, 2009	2009 का 4
12.	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल	2009 का 5

	विश्वविद्यालय, चुडेला (झुन्झुनू) अधिनियम, 2009	
1	2	3
13.	जोधपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2009	2009 का 6
14.	श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनू) अधिनियम, 2010	2010 का 4
15.	एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) अधिनियम, 2010	2010 का 5
16.	होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2010	2010 का 6
17.	डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) अधिनियम, 2010	2010 का 8
18.	पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2010	2010 का 10
19.	रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) अधिनियम, 2011	2011 का 3
20.	जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011 का 19
21.	प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011 का 20
22.	मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011 का 21
23.	महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011 का 22
24.	सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) अधिनियम, 2011	2011 का 25

25.	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011 का 26
1	2	3
26.	गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2012	2012 का 4
27.	अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012	2012 का 5
28.	महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012	2012 का 6
29.	वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012	2012 का 11
30.	कैरियर पाइन्ट विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2012	2012 का 13
31.	संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा अधिनियम, 2012	2012 का 14
32.	जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012	2012 का 15
33.	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012	2012 का 16

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विद्यमान 33 निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों की धारा 12 की उप-धारा (1) में यह उपबंध था कि चेयरपर्सन, प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार की सहमति से, उस तारीख से, जिस पर वह पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की कालावधि के लिए, नियुक्त किया जायेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। इस उपबंध के अनुसार, चेयरपर्सन के पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था।

राजस्थान के स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों की विद्यमान धारा 12 (1) जो चेयरपर्सन की, उसके पद पर पुनर्नियुक्ति को निर्बन्धित करती है, को संशोधित करने की मांग की गयी थी क्योंकि मात्र पांच वर्षों में विश्वविद्यालय का, शैक्षणिक रूप से सशक्त संस्था के रूप में निर्माण नहीं किया जा सकता।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 12 नवम्बर, 2012 को राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश सं.12) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राज-पत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 16 नवम्बर, 2012 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. दयाराम परमार,
प्रभारी मंत्री।

विधेयक की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के सुसंगत उपबंध का उद्धरण

XX XX XX XX

12. चेयरपर्सन.- (1) चेयरपर्सन, राज्य सरकार की सहमति से प्रायोजक निकाय द्वारा, उसके पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जायेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु चेयरपर्सन, उसकी पदावधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) से (5) **XX XX XX XX**

XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 1 of 2013

THE RAJASTHAN PRIVATE UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Private Universities' Laws.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Private Universities' Laws (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 12th November, 2012.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Private University Law" means a Private University Act specified in the Schedule; and

(b) "Schedule" means the Schedule to this Act.

3. Amendment of Private Universities' Laws.- In sub-section (1) of section 12 of each of the Private Universities' Laws, the existing expression "and shall not be eligible for re-appointment" shall be deleted.

4. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Private Universities' Laws (Amendment) Ordinance, 2012 (Ordinance No. 12 of 2012) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

SCHEDULE

(See section 3)

S.No.	Title	Act No.
1	2	3
1.	The Sir Padampat Singhania University, Udaipur Act, 2008	4 of 2008
2.	The Jaipur National University, Jaipur Act, 2008	5 of 2008
3.	The Singhania University, Pacheri Bari (Jhunjhunu) Act, 2008	6 of 2008
4.	The Nims University Rajasthan, Jaipur Act, 2008	7 of 2008
5.	The Amity University Rajasthan, Jaipur Act, 2008	8 of 2008
6.	The Suresh Gyan Vihar University, Jaipur Act, 2008	16 of 2008
7.	The Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur Act, 2008	17 of 2008
8.	The Bhagwant University, Ajmer Act, 2008	18 of 2008
9.	The Jagan Nath University, Jaipur Act, 2008	19 of 2008
10.	The Mahatma Jyoti Rao Phoole University, Jaipur Act, 2009	3 of 2009
11.	The Mewar University, Chittorgarh Act, 2009	4 of 2009
12.	Shri Jagdish Prasad Jhabarmal Tibrewala University, Chudela (Jhunjhunu) Act, 2009	5 of 2009
13.	The Jodhpur National University, Jodhpur Act, 2009	6 of 2009
14.	The Shridhar University Bigodna, (Jhunjhunu) Act, 2010	4 of 2010
15.	The NIIT University, Neemrana (Alwar) Act, 2010	5 of 2010
16.	The Homoeopathy University, Jaipur Act, 2010	6 of 2010

1	2	3
17.	The Dr.K.N.Modi University, Newai (Tonk) Act, 2010	8 of 2010
18.	The Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur Act, 2010	10 of 2010
19.	The Raffles University, Neemrana (Alwar) Act, 2011	3 of 2011
20.	The J.K.Lakshmipat University, Jaipur Act, 2011	19 of 2011
21.	The Pratap University, Jaipur Act, 2011	20 of 2011
22.	The Manipal University, Jaipur Act, 2011	21 of 2011
23.	The Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology, Jaipur Act, 2011	22 of 2011
24.	The Sunrise University, Bagad Rajput (Alwar) Act, 2011	25 of 2011
25.	The ICFAI University, Jaipur Act, 2011	26 of 2011
26.	The Geetanjali University, Udaipur Act, 2012	4 of 2012
27.	The University of Engineering and Management, Jaipur Act, 2012	5 of 2012
28.	The Maharaj Vinayak Global University, Jaipur Act, 2012	6 of 2012
29.	The VIT University, Jaipur Act, 2012	11 of 2012
30.	The Career Point University, Kota Act, 2012	13 of 2012
31.	The Sangam University, Bhilwara Act, 2012	14 of 2012
32.	The JECRC University, Jaipur Act, 2012	15 of 2012
33.	The Poornima University, Jaipur Act, 2012	16 of 2012

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In sub-section (1) of section 12 of the existing 33 Private Universities' Acts, there was a provision that the Chairperson shall be appointed by the Sponsoring Body with the consent of the State Government for a period of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for re-appointment. According to this provision, a person appointed on the post of Chairperson was not eligible for re-appointment.

A demand from Association of Self Financing Universities of Rajasthan was received to amend the section 12 (1) of the existing Private Universities Acts restricting re-appointment of the Chairperson on the said post because no university can be built academically as a sound institution in just five years.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the Rajasthan Private Universities' Laws (Amendment) Ordinance, 2012 (Ordinance No. 12 of 2012), on 12th November, 2012, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 16th November, 2012.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

डॉ. दयाराम परमार,
Minister Incharge.

EXTRACT OF RELEVANT PROVISION IN THE ACTS SPECIFIED IN THE SCHEDLE OF THE BILL

XX XX XX XX

12. The Chairperson.- (1) The Chairperson shall be appointed by the Sponsoring Body with the consent of the State Government for a period of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for re-appointment:

Provided that a Chairperson shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon the office.

(2) to (5) **XX XX XX XX**

XX XX XX XX

<u>2013 का विधेयक सं.1</u>

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

निजी विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया,

विशेषाधिकारी।

(डॉ, दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 1 of 2013

THE RAJASTHAN PRIVATE UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Private Universities' Laws.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRAKASH CHANDRA PICHHOLIA,
Officer On Special Duty

(Dr. Dayaram Parmar, **Minister-Incharge**)